सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—01 / 2025 दर्ज तिथिः—04.03.2025

1. हरखाराम पुत्र रूघाराम
   जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी,शौभाला जैतमाल,तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
   ....अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत धोरीमना
2. रामनिवास पुत्र केसाराम
   जाति ब्राह्मण, निवासी धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
3. ताजाराम पुत्र फगलूराम
   जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी,भीमथल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
4. भंवरलाल पुत्र हरदानराम
   जाति सुनार निवासी हिरकन का थान,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
5. सुगणी पत्नी चिमाराम
   जाति मेघवाल निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
   ....असल प्रत्यर्थी
6. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर
   ....तकमीली प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः—श्री हापूराम
प्रत्यर्थीः—एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज.भू—राजस्वअधिनियम—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—01.07.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से हैः—
   - कि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल धोरीमना के ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 484 / 3 रकबा 1—00 बीघा भूमि किस्म गै.मु.आवासीय आई हुई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
धोरीमना

जिसमें उतरदाता संख्या 2 के नाम 2250 वर्गफिट का एक भूखण्ड आया हुआ था।

- कि उतरदाता संख्या 2 रामनिवास पुत्र केसाराम द्वारा अपीलान्ट को उक्त आराजी जरिये पंजिबद्व बैचाणनामा दिनांक 15.09.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 21 में पृष्ठ संख्या 74 क्रम संख्या 201603110101116 पर पंजिबद्व द्वारा 1125 वर्गफिट का बैचान किया गया था तथा उसी दिन उतरदाता संख्या 03 को भी 1125 वर्गफिट का बेचान किया ।
- उक्त आराजी का नक्शा कायम कर जो पंजिबद्व बैचाणनामे के साथ पेज 3 में बतायी आराजी पर अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तत्पश्चात अपीलान्ट ने उक्त बैचाणनामा की प्रति हल्का पटवारी को पेश कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण पारित करने का निवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी ने उक्त बैचाणनामा के अनुसार नामान्तरकरण भर कर ग्राम पंचायत में पेश कर स्वीकृत करवाकर प्रति देने का आश्वासन दिया जिस पर अपीलान्ट अपने पक्ष में नामान्तरकरण पारित होने का इन्तजार करता रहा तथा कई बार हल्का पटवारी से निवेदन किया।
- कि उक्त आराजी में उतरदाता संख्या 3 द्वारा अपने पक्ष में नामान्तरकरण भरने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क किया और पंजिबद्व बेचाणनामें के आधार पर नामातरकरण भरने का निवेदन किया और हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत कर उक्त पंजिबद्व बैचाणनामें में कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफिट होने के बावजूद नामान्तरकरण में सम्पूर्ण भूखण्ड 2250 वर्गफिट लिख कर नामान्तरकरण दायर किया जबकि हल्का पटवारी के समक्ष उक्त भूमि का अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2016 का बेचाणनामा पेश कर रखा था इसके बावजूद हल्का पटवारी ने गलत तरीके से उक्त आलौच्य नामान्तकरण दिनांक 06.12.2019 को भरा गया जिसे भू.अभि.निरीक्षक द्वारा दिनांक 09.12.2019 को जांच किया गया परन्तु उक्त आलौच्य नामान्तरकरण को उतरदाता संख्या 01 ने करीब 7 माह के बाद बिना कोई जांच किये स्वीकृत कर दिया जो कि अपास्त योग्य है।
- कि राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के राजस्थान भू राजस्व के नियम 2007 के संदर्भ में जारी परिपत्र प.(6)राज–6 / 92 / पार्ट / 4 दिनांक 16.08.2012 के मार्ग दर्शन में खातेदारी भूमि का रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम किये जाने का ही प्रावधान है। नामान्तकरण खातेदारी भूमि तक ही है। विक्रय,दान,वसियत व बेचान का नामान्तकरण दर्ज नहीं होगा।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजांत् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

द्वारा ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 484 / 3 रकबा 1–00 बीघा भूमि किस्म गै.मु. आवासीय में से उतरदाता संख्या 2 के नाम कुल रकबा 2250 वर्गफिट में से 1125 वर्गफिट रकबा जरिये बेचाणनामा दिनांक 15.09.2016 को क्रय किया गया था तथा उसी दिन उतरदाता संख्या 3 को भी 1125 वर्गफिट का बैचाण किया गया था लेकिन उतरदाता संख्या 3 द्वारा नामान्तरकरण दायर करते समय 2250 वर्गफिट का अपने पक्ष में बताकर दायर करने तथा उसी अनुसार हल्का पटवारी व भू.अ. निरीक्षक द्वारा बिना जांच कर पेश करने पर उतरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2275 दिनांक 06.07.2020 को पारित किया गया जो विधि विरूध प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना में अवस्थित ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 484 / 3 रकबा 1–00 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय में उतरदाता संख्या 3 ताजाराम पुत्र फगलूराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी भीमथल के पक्ष में उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2275 दिनांक 06.07.2020 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमना को पुनः जांच कर पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 2275 दिनांक 06.07.2020 जो ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित किये जाने के विरूद्व अपील भलीभांती साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत धोरीमना के खेत खसरा संख्या 484 / 3 रकबा 1–00 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय में ग्राम पंचायत धोरीमना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2275 दिनांक 06.07.2020 को की गई कार्यवाही अपास्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमना को प्रकरण पुनः प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त नामान्तकरण अपास्त करने के बाद अपीलान्ट व उतरदातागण के नामान्तरकरण की जांच कर नियमानुसार विधिसमत अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

1/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:56 IST
Reason: SelfAttested